

कॉम्प्यूटर परिपत्र सं० - 1819074

पत्र संख्या-एस0एस0-जी0एस0टी0/खण्ड पुनर्गठन-2018-19/ 6/7 / राज्य कर

कार्यालय : आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 ।

(संख्या अनुभाग)


लखनऊ : दिनांक : 11-12-2018

कार्यालय आदेश

1- उत्तर प्रदेश, शासन (राजस्व अनुभाग-5) की अधिसूचना संख्या-76/ 2018/ 1574/1-5-2018-72/ 2017, दि० 18-10-2018 के द्वारा जिला इलाहाबाद का नाम **जिला प्रयागराज** के रूप में परिवर्तित किया गया है। अधिसूचना संख्या-1698/1-5-2018-72/2017, दि० 23-11-2018 के द्वारा इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद का नाम **प्रयागराज मण्डल** प्रयागराज के रूप में परिवर्तित किया गया है। अधिसूचना संख्या-80/2018/1705/1-5-2018-10/2018, दि० 23-11-2018 द्वारा जिला फैजाबाद का नाम **जिला अयोध्या** के नाम परिवर्तित किया गया है। अधिसूचना संख्या-79/2018/1699/1-5-2018-101/2018, दि० 23-11-2018 द्वारा फैजाबाद मण्डल फैजाबाद का नाम **अयोध्या मण्डल** अयोध्या के रूप में परिवर्तित किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, सन-2017) की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कृत्यों के सम्बन्ध में "उचित अधिकारी" नामित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राज्य कर खण्डों / मण्डलों व जोन के अधिक्षेत्र हेतु परिपत्र संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/118/राज्य कर, दि० 01-07-2017 के अनुलग्नक-क, ख व ग में उल्लिखित नाम **इलाहाबाद व फैजाबाद के स्थान पर क्रमशः प्रयागराज व अयोध्या एतद्द्वारा प्रतिस्थापित कर** अवधारित किया जाता है। यह आदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम / नियमावली के अन्तर्गत पूर्व के / प्रचलित सभी कृत्यों पर भी प्रभावी होंगे।


यह आदेश उत्तर प्रदेश, शासन (राजस्व अनुभाग-5) की अधिसूचना के तद्दिनांक से ही प्रभावी होंगे।


(कामिनी चौहान रतन)

आयुक्त, राज्य कर / वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

प्र० प्र० सं० व दिनांक तदैव।

1. अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ० प्र०, शासन।
2. विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन, उ० प्र० शासन।
3. संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन, अनुभाग-2 व 4, उ० प्र० शासन।
4. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उ० प्र०।
5. ज्वाइंट कमिश्नर(स्थापना)/आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।
6. सम्बन्धित जोन के समस्त ज्वा० कमि० (कार्य०) / (वि०अनु०शा) / (अपील) वाणिज्य कर।
7. सम्बन्धित जोन समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर द्वारा एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, प्रयागराज व अयोध्या।
8. डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट एवं विभाग के सभी साफ्ट विवरण में यथासंशोधित कराये जाने हेतु।
9. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी प्रयागराज एवं अयोध्या।
10. अध्यक्ष एवं सदस्य व्यापार कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. ज्वा० कमि० उच्चतम न्यायालय कार्य / उच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद / लखनऊ / प्रयागराज।
12. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।
13. निदेशक एवं मुद्रण सामग्री, उ० प्र० प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को साधारण शासकीय गजट में प्रकाशित कराकर इसकी मुद्रित 100 प्रतियाँ आयुक्त, राज्य कर / वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (जी०एस०टी०) राज्य कर / वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।